|| श्री ||

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (कार्यालय) चौमू

लक्ष्मीनारायण बनाम नाथू वगैरह

मुकदमा संख्या /वर्ष : 267/310/20 00

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/11/21	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट ग्राम हाडोता में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित वादीगण की पहचान सरपंच हाडोता ने की एवं प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता हीरा लाल ने की। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य वाद कारण समाप्त हो चुका है प्रकरण को राजीनामा के अनुसार खारिज किया जावे। राजीनामा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। राजीनामा के अनुसार पक्षकारान के मध्य वाद कारण समाप्त होने से प्रकरण को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण को राजीनामा के अनुसार खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (कार्यालय) ट्रेको चौमू (जयपुर)	R.T.I लक्ष्मीनारायण राधाकिशन यादव पहचान कर्ता [signature] सरपंच ग्राम पंचायत–हाडोता पं. स. गोविन्दगढ़ (जयपुर) प्रतिवादीगण [signature] [signature] मंगरी [signature] [signature] (हीरालाल सैनी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:22:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

श्री हर्षित वर्मा पीठासीन अधिकारी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–267/310/2000

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ
2. रामवतार पुत्र रामनाथ
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम हाडौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. नाथूराम पुत्र श्री बींजाराम
2. छोटी पत्नि नाथूराम
3. प्रभू पुत्र श्री नाथूराम
4. भूरी पत्नि श्री प्रभू
5. हरफूल पुत्र श्री नाथूराम
   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम हाडौता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री हर्षित वर्मा आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प कोर्ट हाडौता में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण ने लिखित में लोक अदालत की भावना से राजीनामा प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को वादीगण खारिज की डिक्री पारित करवाने पर सहमत है। वाद पत्र, पत्रावली एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। हस्तगत वादपत्र स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है, जिसमें वादीगण द्वारा अपने नाम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1629 / 2363 के दक्षिणी दिशा में हाल खसरा नम्बर 1637, 1638, 1639 पर प्रतिवादीगण को काबिज काश्त होना एवं दोनों पक्षों के मध्य सीमा पर पुख्ता बाउण्ड्रीवॉल सीमाज्ञान अनुसार दावादायरी से पूर्व ही स्थित होना राजीनामा में वर्णित है। ऐसे में वाद कारण समाप्त होने एवं वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा खारिज किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री निर्णय अनुसार जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:22:52 IST
Reason: SelfAttested

निजी ....मबलिक .... [illegible] मय सूद वगैरह ......
.... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाब तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 13.11.2021 को जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)

Scanned with CamScanner

मुकदमा सं0–267 / 310 / 2000
उनवान– लक्ष्मीनारायण बनाम नाथूराम
निर्णय दिनांक– 13.11.2021

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा........ सहायक कलर्क (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	 1
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलर्क (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.04.26 15:22:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner